न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू कैम्प थैलासर
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 14/2022 दिनांकः– 05.01.2022

अनुवानी

राजस्थान सरकार बनाम ताराचन्द आदि

–: **आदेश** :–

तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत श्योपुरा, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट–'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम श्योपुरा तहसील चूरू के खसरा नम्बर 187/22, 18, 19, 20, 949/214 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरू ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि रोही ग्राम श्योपुरा तहसील चूरू के खसरा नम्बर 187/22, 18, 19, 20, 949/214 में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–'ए' में वर्णितानुसार करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। रास्ते में अंकित की जाने वाली भूमि का खसरा नम्बर पृथक से कायम किया जाकर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज कर सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रखी जाने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

05/01/22

(राहुल सैनी)
भू–अभिलेख अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:20:39 IST
Reason: SelfAttested